

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-14015/22/2008-अ.भा.से.(I)-ख

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9<sup>th</sup> दिसम्बर, 2010

### आधिकारी

श्री हेमराज सिंह चौहान और अन्य द्वारा दायर 2006 की डबल्यू. पी सं.19103-04 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 14.11.2008 के आदेश के अनुसरण में तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, पुनरीक्षा चयन सूची वर्ष 2004(दिनांक 1.1.2003 से 31.12.2003 के मध्य उत्पन्न रिकियों) और 2004-क (दिनांक 1.1.2004 से 31.12.2004 के मध्य उत्पन्न रिकियों) तथा 2005(दिनांक 1.1.2005 से 31.12.2005 के मध्य उत्पन्न रिकियों) हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिकियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को अगले आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में उनका आवंटन करती है :-

### पुनरीक्षा चयन सूची 2004

क्र.सं.	आधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	नवल किशोर
2.	चन्द्र प्रकाश मिश्र
3.	कपिल देव त्रिपाठी
4.	सुशील कुमार
5.	गंगा प्रसाद मिश्र
6.	सुनिष्ठा सिंह
7.	चन्द्रिका प्रसाद तिवारी
8.	लरेन्द्र कुमार धौधरी
9.	अरुण सिंह
10.	सुनीता चतुर्वेदी
11.	दिलीप कुमार गुप्ता
12.	अजय अद्याल
13.	रामदोष मौर्या

चयन सूची 2004-क


क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	श्रीमती सोमलता सिंह (अ.जा.)
2.	राज नारायण सिंह
3.	राम बहादुर (अ.जा.)
4.	जान सिंह
5.	यिमत किशोर गुप्ता
6.	अंतुल कुमार
7.	अखिलेश कुमार बर्नवाल
8.	योगेन्द्र कुमार बहल

चयन सूची 2005

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	अरविन्द कुमार द्वियेदी
2.	सुशील कुमार यादव
3.	सन्तोष कुमार द्वियेदी
4.	सुधीर कुमार

2. डॉ. ए.के.शर्मा द्वारा दायर ओए सं.3605/2010 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारण, प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 के आदेश के अनुसार, चयन सूची 2004, जिसमें 11 पट्टी को राज्य सिविल सेया संघर्ग में रूपांतरित किया गया है, मूल आवेदन के परिणाम के अध्यधीन होगी।

3. उपर्युक्त पुनरीक्षा चयन सूची वर्ष 2004 दिनांक 20 जनवरी, 2010 की पहले की समसंबद्धक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित चयन सूची 2004 के अधिक्रमण में है।



(एस.पी.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

फरीदाबाद

(हरियाणा)।